रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260640 SG-DL-E-31012025-260640

#### असाधारण EXTRAORDINARY

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946 No. 34] DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/ MAGHA 10, 1946

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 370 [N. C. T. D. No. 370

#### भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# वित्त (व्यय I) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

फा. सं. 3(24) / वित्त(व्यय—I)/2024—25/डीएस—I)/116—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 96 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 5 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (10)/वित्त (व्यय—I)/2022—23/डीएस—I/934 के अधिक्रमण में, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा अग्रिम विनिर्णय हेतु दिल्ली प्राधिकरण का गठन करते हैं, जो निम्नानुसार है:

- 1) अपर आयुक्त (विधि), सीजीएसटी दिल्ली उत्तर आयुक्तालय, केन्द्र सरकार के सदस्य के रूप में।
- 2) आयुक्त (डीजीएसटी) द्वारा यथा नामित अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त के रैंक से नीचे का न हो, राज्य सरकार के सदस्य के रूप में ।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, रविंदर कुमार, संयुक्त सचिव–I (वित्त)

797 DG/2025 (1)

# FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2025

- **F. No. 3(24)/Fin (Exp-I)/2024-25/DSI/116**—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 96 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Notification No. F. 3 (10)/Fin (Exp-I)/2022-23/DS-I/934 dated 5<sup>th</sup> December, 2022, the Lieutenant Governor of Delhi, is pleased to constitute the Delhi Authority for Advance Ruling, as under:
  - 1) Additional Commissioner (Legal), CGST Delhi North Commissionerate, as member of Central Government.
  - 2) An officer not below the rank of Joint Commissioner as nominated by Commissioner (DGST), as member of State Government.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Finance)